

CENTRAL COALFIELDS LIMITED,  
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
LAND AND REVENUE DEPARTMENT  
DARBHANGA HOUSE, RANCHI

Ref. No. HOD (L&R)/Comp./Pub. Domain/23-24/234

Date: 05.4.2023

To,  
The General Manager (Systems),  
CCL, Ranchi.

Sub: - Publication of notice inviting objections, if any, against Compensation Proposed against land in CCL website.

Dear Sir,

The competent authority has directed for issuance of public notice inviting objections, if any, in respect of all Compensation proposals against acquired land.

In this regard, a notice, in respect of Two nos. such proposal relating to two Compensation namely:

1. Sri Kunti Devi W/o Vijay Saw, resident of village: - Chamatu, P.S – Balumath, Dist. – Latehar (Jharkhand) against acquisition of Tenancy land of Village- Chamatu, under Khata No. 184, Plot no. 726, 631 & 2149 Total Area- 1.03 Acres acquired under CBA Act' 1957, vide SO No.1384 Dt.09.5.2003 is enclosed herewith.
2. Dasrath Saw, Budhan Saw & Dular Saw S/o Sitaram Saw resident of village: - Chamatu, P.S – Balumath, Dist. –Latehar (Jharkhand) against acquisition of Tenancy land of Village- Chamatu, under Khata No. 67 Plot nos. 2380, 2381 & 2448, Total Area- 3.44 Acres acquired under CBA Act' 1957, vide SO No. 870 E dt. 02.12.1994 is enclosed herewith.

It is requested to kindly upload the same in the CCL website and the date of uploading the same may please be intimated to this office for further needful.

Encl: As above.

Yours faithfully

*Sudh*  
*05/04/23*  
HOD (L&R),  
CCL

Copy to: - Sri. Navnit Jha, Sr.Mgr. (Min.)

*Shubh*  
*05/04/2023*

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. कुन्ती देवी पति विजय साव, निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 खाता सं. 184 (रैयती) के अधीन प्लॉट सं. 726, 631 एवं 2149 जो अधिसूचना संख्या 1384, दिनांक 09.5.2003 के अंतर्गत अधिग्रहित है जिसका कुल रकवा 1.03 एकड़ है एवं उक्त भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का प्रस्ताव प्रस्तावित की गई है।

ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 184 अंतर्गत प्लॉट संख्या. 726, 631 एवं 2149, कुल रकवा 1.08 जिसका खरीदगी रकवा 1.03 एकड़ है जिसे केवाला संख्या 67/2270, दिनांक 12.01.2002 एवं 67/970, दिनांक 12.01.2002 के माध्यम से कुन्ती देवी पति श्री विजय साव के द्वारा पचल यादव, सुधन यादव, बुधन यादव पिता शिवधारी यादव एवं कौशल्या देवी पति विशेस्वर यादव से खरीदगी की गयी है।

2. दशरथ साव, बुधन साव एवं दुलार साव पिता सीताराम साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 67 के अधीन प्लॉट सं. 2380, 2381 एवं 2448 जो अधिसूचना संख्या 870 E, दिनांक 02.12.1994 के अंतर्गत अधिग्रहित है जिसका कुल रकवा 3.44 एकड़ है एवं उक्त भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का प्रस्ताव प्रस्तावित की गई है।


ऊपर उल्लेखित खाता सं. 67 के अधीन प्लॉट सं. 2380, 2381 एवं 2448 कुल रकवा 3.44 एकड़ है एवं भूमि रैयती खाते की है एवं दशरथ साव, बुधन साव एवं दुलार साव पिता सीताराम साव के नाम जमावंदी दर्ज है।

अगर उक्त विवरण, दावा अथवा मुआवजा राशि पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा या आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10 (दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में कार्यालय परियोजना पदाधिकारी, मगध परियोजना, सी.सी.एल, कार्यालय महाप्रबंधक मगध संघमित्र क्षेत्र, सी.सी.एल या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10 (दस) दिनों के अंदर, इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त वर्णित भूमि-मुआवजा प्रस्ताव क्र० संख्या 1 एवं 2 पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।

मोहरास  
५-४-२०२३

विभागाध्यक्ष  
(भूमि एवं राजस्व)  
सी सी एल.राँची

  
02/04/2023 5/4/23